न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 149 सन 2020
अनवान :–

1. भागीरथ पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. नंदराम पुत्र हरपत जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
4. सन्दीपसिह 5. अमित कुमार पुत्र हरदतसिह जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अरथाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता सायल
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल ,4 ,5

निर्णय दिनांक :– ~~20/01/2021~~ 16/3/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 151/155 के खसरा न0 190/1 की कुल 8.5300हैक पूर्व मे वादी के दादा हरपतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रो पर औद हुई और प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 151/155 के खसरा न0 190/1 की कुल 8.5300हैक भूमि हिस्से में आई थी।

गैरसायल न0 1 के नाम वाद भूमि बतौर हिन्दु कर्ता खानदान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है पैतृक सम्पति है जिसमें सायल का जन्म से हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि में सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 गैरसायल सख्या 1 के साथ बहिब खातेदार काश्तकार है इसी आश्य की धोषणा न्यायालय से करवा पाने के अधिकारी है।

दावा में प्रतिवादीगण संख्या 5 ,6 सायल की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 2 की बहन है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया हे इसलिये वाद भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी /गैरसायल न0 1 अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी आश्य की न्यायालय से धोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज भूमि को गैरसायल न0 1 रहन बेय करने पर उतारू है गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है की वाद भूमि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 151/155 के खसरा न0 190/1 की 8.5300हैक भूमि की रिकार्ड एवं मोका की यथास्थिति बनाई रखे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल की तलब जारी होने पर गैरसायल न0 4 ,5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर गैरसायल न0 4 ,5 को पक्षकार बनाया गया।

गैरसायल न0 1 एवं वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर इकबाल पेश करने के कारण गैरसायल न0 1 के जबाब की आवश्यकता नही रही गैरसायल न0 4 ,5 जिन्हे पक्षकार बनाया गया था ने सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

गैरसायल न0 1 ने वाद भूमि में से अपने हक हिस्सा की 11.00 बीधा भूमि का बेचान दिनांक 06.08.2002 को गैरसायल न0 4 ,5 को किया जा चुका है जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है जब मिन गैरसायल न0 4 ,5 तहसीलदार राजस्व नोहर के समक्ष बैयनामा के अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही की गई तो सायल व गैरसायल न0 1 ने दुरभि संधी करके अनुचित रूप से न्यायालय से तथ्यों को छुपा कर स्थगन आदेश प्राप्त

(sd)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

कर लिया ताकि गैरसायल न0 4 ,5 के नाम भूमि दर्ज ना हो सके गैरसायल न0 1 ने न्यायायल हाजा में सन्दीप बनाम नन्दराम प्रकरण संख्या 117/2018 वाद में स्थगन आदेश प्राप्त किया था जिसे विड्रा करके नामान्तकरण की कार्यवाही की जिस पर सायल व गैरसायल संख्या 1 को पता चला व सायल व गैरसायल संख्या 1 को पता चला व सायल व गेरसायल न0 1 ने दुरभि संधी करके हस्तगत स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है।

वादी भूमि गैरसायल न0 4 ,5 के कब्जा काश्त में है सायल ने न्यायालय से तथ्यों को छुपाकर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जो गैरसायल न0 4 ,5 के हकों पर निष्प्रभावी है अतः गैरसायल न0 4 ,5 की हद तक सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 151/155 के खसरा न0 190/1 की कुल 8.5300हैक पूर्व मे वादी के दादा हरपतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रो पर औद हुई और प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 151/155 के खसरा न0 190/1 की कुल 8.5300हैक भूमि हिस्से में आई थी।

गैरसायल न0 1 के नाम वाद भूमि बतौर हिन्दु कर्ता खानदान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है पैतृक सम्पति है जिसमें सायल का जन्म से हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि में सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 गैरसायल सख्या 1 के साथ बहिव खातेदार काश्तकार है इसी आश्य की धोषणा न्यायालय से करवा पाने के अधिकारी है।

दावा में प्रतिवादीगण संख्या 5 ,6 सायल की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 2 की बहन है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया हे इसलिये वाद भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी /गैरसायल न0 1 अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिव 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी आश्य की न्यायालय से धोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज भूमि को गैरसायल न0 1 रहन बेय करने पर उतारू है गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है की वाद भूमि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 151/155 के खसरा न0 190/1 की 8.5300हैक भूमि की रिकार्ड एवं मोका की यथास्थिति बनाई रखे।

गैरसायल न0 4 ,5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गैरसायल न0 1 ने वाद भूमि में से अपने हक हिस्सा की 11.00 बीधा भूमि का बेचान दिनांक 06.08.2002 को गैरसायल न0 4 ,5 को किया जा चुका है जो उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है जब मिन गैरसायल न0 4 ,5 तहसीलदार राजस्व नोहर के समक्ष बैयनामा के अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही की गई तो सायल व गैरसायल न0 1 ने दुरभि संधी करके अनुचित रूप से न्यायालय से तथ्यों को छुपा कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया ताकि गैरसायल न0 4 ,5 के नाम भूमि दर्ज ना हो सके गैरसायल न0 1 ने न्यायायल हाजा में सन्दीप बनाम नन्दराम प्रकरण संख्या 117/2018 वाद में स्थगन आदेश प्राप्त किया था जिसे विड्रा करके नामान्तकरण की कार्यवाही की जिस पर सायल व गैरसायल संख्या 1 को पता चला व सायल व गैरसायल संख्या 1 को पता चला व सायल व गेरसायल न0 1 ने दुरभि संधी करके हस्तगत स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है।

वादी भूमि गैरसायल न0 4 ,5 के कब्जा काश्त में है सायल ने न्यायालय से तथ्यों को छुपाकर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जो गैरसायल न0 4 ,5 के हकों पर निष्प्रभावी है अतः गैरसायल न0 4 ,5 की हद तक सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हरपतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि गैरसायल न0 1 जो सायल का पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात विरारतन से वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है गैरसायल न0 1 ने अपने नाम से दर्ज वाद भूमि में से 11.00 बीधा भूमि दिनांक 06.08.2002 को गैरसायल न0 4 ,5 को बेचान की जा चुकी है जो प्रस्तुत बैयनामा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

की प्रति से पूर्णत्या सावित है अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण बैयनामा की हद तक गैरसायल न0 4 ,5 एवं शेष सायल के पक्ष में पाया जाता है।

सायल का कथन है कि वाद भूमि में सायल का 1/4 हिस्सा का हक हिस्सा है जो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होना है यदि सायल का कथन मान भी लिया जावे तो भी 1/4 हिस्सा भूमि गैरसायल को आती है।

गैरसायल न0 1 के द्वारा काफी समय पूर्व दिनांक 06.08.2002 को वाद भूमि में से 11.00 बीधा भूमि का बेचान गैरसायल न0 4 ,5 को किया जा चुका है जो उनके कब्जा काश्त में है जिसके कारण यह स्वीकार नही है कि सायल को उसके पिता गैरसायल न0 1 ने गैरसायल न0 4 ,5 को भूमि का बेचान किया गया है का ज्ञान ना हो अर्थात सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है।

गैरसायल न0 4 ,5 ने जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा के वाद भूमि मे से 11.00 बीधा भूमि को दिनांक 06.08.2002 को खरीद किया गया है जिसमें सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है सायल गैरसायल न0 4 ,5 के द्वारा खरीद की गई भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश पाने का अधिकारी नही है शेष गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की सुरक्षा हेतु स्थगन आदेश प्राप्त कर सकता है।

सायल ने ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह सावित हो की गैरसायल न0 4 ,5 को पाबन्द किया जाना आवश्यक हो मात्र कथनों के आधार पर खरीददार को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है पावन्द किये जाने पर गैरसायल न0 4 ,5 को क्षति हो सकती है।

सायल का मुख्य उदेशय अपने हकों की धोषणा गैरसायल न0 1 से करवाने का है गैरसायल न0 4 ,5 से कोई अनुतोष भी नही है अर्थात गैरसायल न0 4 ,5 के द्वारा खरीद की गई भूमि को स्थगन से मुक्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु गैरसायल न0 4, 5 के पक्ष में साबित होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है गैरसायल न0 1 के द्वारा गैरसायल न0 4 ,5 जो जरिये बैयनामा दिनांक 06.08.2002 बेचान की गई 11.00 बीधा भूमि पर न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 03.11.2020 निरस्त किया जाता है शेष भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.08.2020 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/3/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

16/3/2021

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner